



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

कं./जन स्वा.वि./ ८२३/२०१९/

भिलाई, दिनांक २४/१०/१९

//आदेश//

विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन नगरीय उपासन एवं विकास का पत्र कं. 9439 / 219 / सी.एम. / २०१९ / १८ नवा रायपुर अटल नगर दिनांक २८.०९.२०१९ के परिपालन में नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत ०२ अक्टूबर २०१९ से आम नागरिकों के सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को निर्धारित किये गये जोनवार सुबह ९:०० बजे से १:०० बजे तक वार्ड कार्यालय का सुभारंभ किया जा रहा है। निकायों में आने वाले सेवाओं का संलग्न दिशा-निर्देश के अनुरूप सफल क्रियान्वयन हेतु जोनवार वार्ड कार्यालय के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य विभाग में आने वाले सेवाओं का सुचारु रूप से संपादित किये जाने हेतु निम्नानुसार दल गठित किया जाता है :-

१. जोन कं. ०१ वार्ड कं. ०९ कोहका व्यायाम शाला के पास वार्ड कार्यालय -

- स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आने वाले सेवाओं के प्रभारी अधिकारी श्री महेश प्रसाद मिश्रा (मो. नं. ८८१५१९८२६३) जोन स्वास्थ्य अधिकारी होंगे।

| कं. | सेवा का नाम | कर्मचारी का नाम | मोबाइल नंबर |
|-----|-----------------------------|--|--------------------------|
| १ | पेशन अनुज्ञापि, गोमास्ता | श्री मुसाफिर राम श्री अर्जुन रंजन (प्लेसमेंट) | ९३२९२०८८९० ६२६५०६७३९२ |
| २ | साफ-सफाई सेवान यूनिट | श्री अमन सिंह (प्लेसमेंट) श्री राजकुमार (प्लेसमेंट) | ८०८५५२२३२३ ७९८७२८०७७१ |

२. जोन कं. ०२ वार्ड कं. १७ वृन्दा नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास वार्ड कार्यालय -

- स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आने वाले सेवाओं के प्रभारी अधिकारी श्री जगरनाथ कुशवाहा (मो. नं. ९३०२८९२१२३) जोन स्वास्थ्य अधिकारी होंगे।

| कं. | सेवा का नाम | कर्मचारी का नाम | मोबाइल नंबर |
|-----|-----------------------------|---|--|
| १ | पेशन अनुज्ञापि, गोमास्ता | श्री अनुप सिन्हा श्री चतुर चन्द्राकां | ९३०३५२१९१८ ९३०३५२१९६२ |
| २ | साफ-सफाई सेवान यूनिट | श्री रामकुमार श्री एस.थामश (प्लेसमेंट) श्री पंकज शर्मा(प्लेसमेंट) | ८८३९१७५७७५ ९८०६५११०८९ ७५५४३५०१९२ |

३. जोन कं. ०३ वार्ड कं. २१ वैकुण्ठधाम मंदिर के पास रवास्थ्य विभाग का यूनिट कार्यालय (वार्ड कार्यालय) -

- स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आने वाले सेवाओं के प्रभारी अधिकारी श्री आर.पी.तिवारी (मो. नं. ९४२५५९५४२८) जोन स्वास्थ्य अधिकारी होंगे।

| कं. | सेवा का नाम | कर्मचारी का नाम | मोबाइल नंबर |
|-----|-----------------------------|---|--|
| १ | पेशन अनुज्ञापि, गोमास्ता | श्री किशोर खिरोड़कर श्री सुरेश पटेल श्री दुकालू राम | ९३०३०४७७६ ९६६९२२१२०७ ९३०३५२१९१९ |
| २ | साफ-सफाई सेवान यूनिट | श्री पवन मिश्रा श्री धन बहादुर रोनी श्री बीरबल | ७९९९२५८३४७ ८८१५१९८२८० ९३०३५२१९२६ |

.....:2

4. जोन क. 04 वार्ड क. 28 छावनी मंगल बाजार सामुदायिक भवन (वार्ड कार्यालय) –
- स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आने वाले सेवाओं के प्रभारी अधिकारी श्री नहेश कुमार पांडे (मो. नं. 7898438233) जोन स्वास्थ्य अधिकारी होंगे।

| क्र. | सेवा का नाम | कर्मचारी का नाम | मोबाइल नंबर |
|------|-----------------------------|---|--|
| 1 | पेशन अनुज्ञापि, गोमास्ता | श्री सुदामा परमनिहा श्री बाधन साहू श्री अरविंद जायरवाल (प्लेसमेंट) | 9303521931 7828047301 8319081818 |
| 2 | साफ-सफाई सेवान यूनिट | श्री धनेश्वर पाटले श्री संजय भारती (प्लेसमेंट) श्री गीता सिंह (प्लेसमेंट) | 7974413722 8878782883 6266133075 |

5. जोन क. 06 वार्ड क. 41 डुडेरा आयुर्वेदिक अस्पताल के पास सामुदायिक भवन (वार्ड कार्यालय) –
- स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आने वाले सेवाओं के प्रभारी अधिकारी श्री बृजेन्द्र परिहार (मो. नं. 7828216065) जोन स्वास्थ्य अधिकारी होंगे।

| क्र. | सेवा का नाम | कर्मचारी का नाम | मोबाइल नंबर |
|------|-----------------------------|---|--|
| 1 | पेशन अनुज्ञापि, गोमास्ता | श्री पुनित बंजारे श्री प्रमोद बंजारे श्री तरुण यादव (प्लेसमेंट) | 8285107993 6264588365 6264429729 |
| 2 | साफ-सफाई सेवान यूनिट | श्री विनोद शुक्ला श्री सतीश देवांगन (प्लेसमेंट) | 7974413722 9303521961 |

उपरोक्तानुसार गठित टीम द्वारा प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को निर्धारित किये गये वार्ड कार्यालय में सुबह 9:00 बजे से 1:00 बजे तक उपस्थित होकर निम्नानुसार कार्यों के आवेदन प्राप्त करने तथा नियमानुसार कार्य कराया जाना सुनिश्चित करेंगे :-

- पेशन :— पेशन से संबंधित आने वाले हितग्राहियों को निर्धारित आवेदनों का वितरण करना एवं आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज भलग्न कर जमा करने के उपरांत शासन द्वारा निर्धारित किये गये मापदण्ड एवं दिशा निर्देश के अनुसार आवेदनों का निराकरण करेंगे।
- अनुज्ञापि एवं गोमास्ता :— अनुज्ञापि एवं गोमास्ता ने संबंधित आने वाले व्यक्तियों को निर्धारित आवेदनों का वितरण करना एवं आवेदक द्वारा आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज (येक लिस्ट अनुसार) संलग्न कर जमा करने के उपरांत निर्धारित राशि की रसीद काटकर प्रकरण आवेदक को वापस करते हुए यह अवगत कराया जावे कि उक्त आवेदन को निकटतम च्वाईस सेंटर अथवा लोक सेवा केन्द्र में जमा किया जावे, ताकि आपको लोक सेवा गारन्टी के अन्तर्गत अनुज्ञापि एवं गोमास्ता प्रमाण-पत्र जारी हो सके एवं प्रमाण-पत्र समय सीमा में प्राप्त हो सके। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आवेदन में आवेदक का मोबाइल नंबर अवश्य लिखाये ताकि आवेदक को मैसेज के माध्यम से सूचित किया जा सके।
- साफ-सफाई से संबंधित शिकायत :— साफ-सफाई से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर उपस्थित कर्मचारी सर्व प्रथम शिकायत को एक पंजी में दर्ज करेंगे, साफ-सफाई से संबंधित शिकायत जैसे नाली एवं सङ्क की सफाई, डोर दू डोर कचरा संग्रहण नहीं

होना, मृत भूमि को उठाना, कवरे के ढेर को उठाना, शौचालय की सफाई एवं अन्य सफाई से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर वार्ड कार्यालय के प्रभारी अधिकारी शिकायत के निराकरण हेतु पृथक से गठित किये गये टीम एवं अन्य संशाधनों के माध्यम से निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे।

- सेवशन यूनिट :- सटिक टैक सफाई किये जाने से संबंधित शिकायत को उपस्थित कर्मचारी सर्व प्रथम शिकायत को एक पंजी में दर्ज करेंगे, सेवशन यूनिट की उपलब्धता के लिये पूर्व से रुटचार्ट निर्धारित किया गया है के अनुसार वार्ड कार्यालय में दर्ज होने वाली शिकायत का त्वारित निराकरण करेंगे। साथ ही कार्य होने के उपरांत आवेदक से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर रसीद उपलब्ध करायेगे।
वार्ड कार्यालय के प्रभारी अधिकारी उपरोक्त उल्लेखित कार्यों का प्राप्त दिशा निर्देशानुसार पालन कराने के लिए पूर्ण रूप से जिमदार होंगे।
संलग्न:- छ.ग. शासन से प्राप्त दिशा-निर्देश की छायाप्रति।

(अधिकारी की जाती है)

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम
मिलाई

पृ.क/जन.स्वा.वि./724/2019/

प्रतिलिपि :-

1. महापौर, नगर पालिक निगम, मिलाई को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अध्यक्ष, नगर पालिक निगम मिलाई को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम मिलाई को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. प्रभारी सदस्य नगर पालिक निगम मिलाई को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. श्री आर.के. साहू अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. श्री सत्येन्द्र रिंह अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. वार्ड पार्षद वार्ड क. नगर पालिक निगम, को सूचनार्थ।
8. उपायुक्त— 1, 11 नगर पालिक निगम, को सूचनार्थ।
9. लेखाधिकारी/जन समर्क अधिकारी नगर पालिक निगम, को सूचनार्थ।
10. कार्यपालन अभियंता, जोन क. पालिक निगम, मिलाई को सूचनार्थ।
11. जोन आयुक्त, जोन क. नगर पालिक निगम, को सूचनार्थ।
12. सर्व विभाग प्रमुख, विभाग, नगर पालिक निगम, को सूचनार्थ।
13. सहायक अभियंता, जोन क. नगर पालिक निगम, को सूचनार्थ।
14. प्र.जोन स्वास्थ्य अधिकारी, जोन क. नगर पालिक निगम मिलाई को सूचनार्थ।
15. अधीक्षक, स्थापना, नगर पालिक निगम, को सूचनार्थ।
16. निज सहायक टू आयुक्त, नगर पालिक निगम, को भूवनार्थ।
17. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, नगर पालिक निगम, को सूचनार्थ।
18. सर्व संबंधित श्री नगर पालिक निगम, मिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(अधिकारी की जाती है)

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम
मिलाई

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
“मंत्रालय”
नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 9439/219/सी.एम./2019/18
प्रति.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/09/2019

अत्यावश्यक

1. समरत कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।
2. समरत आयुक्ता,
नगर पालिका निगम,
छत्तीसगढ़।
3. समरत मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर परायत,
छत्तीसगढ़।

विषय :- निकाय क्षेत्रों में वार्ड कार्यालय प्रारंभ करने के संबंध में।

संदर्भ :- छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्रमांक 9297
दिनांक 24.09.2019

—00—

निकाय क्षेत्र में वार्ड कार्यालय प्रारंभ किये जाने के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। इस संबंध में कई सुझाव एवं कठिनाईयां संज्ञान में लायी गई हैं। प्राप्त सुझावों एवं कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए, वार्ड कार्यालय प्रारंभ किये जाने की योजना तैयार करने तथा इन कार्यालयों के माध्यम से संपादित किये जाने वाले कार्यों की विस्तृत रूपरेखा निम्नानुसार है :-

1. प्रथम चरण में दिनांक 02 अक्टूबर 2019 को नगर पालिका निगमों के माध्यम से ही वार्ड कार्यालय प्रारंभ करने की शुरुआत की जावेगी। प्रदेश के समस्त निगमों में वार्ड कार्यालय प्रारंभ करने का कार्य संबंधित निगम में उपलब्ध मानव संसाधन एवं स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, चरणबद्ध रूप से किया जावेगा। दिनांक 02 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किये जाने वाले वार्ड कार्यालय का स्थानीय जनप्रतिनिधियों से औपचारिक शुभारंभ कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी। नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों में वार्ड कार्यालय प्रारंभ करने का कार्य हितीय चरण में किया जावेगा।
2. **वार्ड समूह का निर्धारण** — 03 लाख से अधिक आबादी के निगमों के लिए प्रत्येक दो वार्ड तथा 03 लाख से कम की आबादी के लिए प्रत्येक तीन वार्डों के समूह पर, वार्ड कार्यालय खोलने हेतु निर्देशित किया गया है, किन्तु यह सांकेतिक (इंडिकेटिव) है। वार्डों की भौगोलिक स्थिति एवं उनकी सीमा की संत्वनता का देखते हुए, इसमें वृद्धि/कमी की जा सकती है। निकाय के आयुक्त द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लिया जावे। निगमों के मुख्य कार्यालय तथा जोन कार्यालयों की सीमा में आने वाले वार्डों के समूह के लिए वार्ड कार्यालय प्रारंभ किया जावेगा।

3. कार्यालय भवन का चयन :— कार्यालय भवन का चयन यथा संभव “स्लम स्वास्थ्य योजना” हेतु निम्नांकित भवन या उसके निलंबन स्थित, निकाय के अनुपयोगी भवनों/अन्य सांस्कृतिक भवन/चबूतरे को धेरकर एवं अन्य पूर्व निर्मित संरचना में स्थल का चयन कर किया जा सकता है, किन्तु उसका संधारण, रंगरोगन, साफ—सफाई इत्यादि कराकर, फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं इंटरनेट के साथ—साथ शुद्ध पेयजल तथा शौचालयों (महिला/पुरुष) की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जावेगी। कार्यालय आने वाले नागरिकों के लिए बैठने की व्यवस्था की जावेगी।
4. वार्ड कार्यालय का समय :— वार्ड कार्यालय में, आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट दिवसों में प्रातः 9:00 से द्वापराह्न 1:00 बजे तक, लोक निर्माण शाखा से सहायक अधिकारी/उप अधिकारी, राजस्व/बाजार शाखा से सहायक राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक, स्वास्थ्य शाखा से सहायक स्वास्थ्य अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे। उपरोक्त अधिकारियों के साथ उनके अधीनस्थ कर्मचारी एवं अमला भी रहेगा, ताकि वार्ड में प्राप्त शिकायतों/सेवाओं का मौले पर ही निराकरण किया जा सके। इसके अतिरिक्त शिकायतों के पंजीयन के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर की भी व्यवस्था रहेगी।

आयुक्त द्वारा उपरोक्त अधिकारियों में से किनी एक अधिकारी को वार्ड कार्यालय का प्रमाणी अधिकारी नियुक्त किया जावेगा, जो कि समस्त आवेदनों के निराकरण का लेखा संघारित करेगा तथा समय—सीमा में उनके निराकरण हेतु जिम्मेदार रहेगा।

5. वार्ड कार्यालय में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ :— वार्ड कार्यालय में निम्नांकित सेवाएँ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जावेगी :—

| लोक निर्माण, जल कार्य तथा यांत्रिकी | राजस्व / बाजार शाखा |
|--|--|
| 1. सड़क/ नाली संधारण। 2. नदीन नल कनेक्शन। 3. पार्झिपलाईन का लिंकेज संधारण। 4. गढ़े पानी प्रदाय तो संबंधित निराकरण। 5. रस्ट्रीट लाईट संधारण। 6. निर्मी कार्य हेतु पानी, टैकर की बुकिंग | 1. संपत्तिकर 2. समेवित कर 3. जल कर 4. यूजर घार्जेस 5. विधि कर/शुल्क 6. साप्रुदायिक भवन आरक्षण 7. लावसेस (व्यापार अनुहारिय) गुल्क नदीन एवं नदीनीकरण |

स्वास्थ्य/स्वच्छता शाखा

| | |
|--|---|
| 1. नालियों की सफाई 2. कचरे की डैर हटाना 3. सीएण्डली वेस्ट हटाना 4. डौर टू डौर कलेक्शन | 5. सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों की सफाई 6. सेटिंक टैक टौ सफर्व हेतु वैक्सूम एम्टीयर की बुकिंग 7. मृत पशुओं का निष्पादन 8. आवारा पशुओं को हटाया जाना |
|--|---|

वार्ड कार्यालय में उक्त सेवाएँ अनिवार्य रूप से विनिर्दिष्ट दिवस/दिवसों में उपलब्ध करायी जावेगी। उक्त अनिवार्य सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाएँ भी वार्ड कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु निकाय के आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

वार्ड कार्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाने के वृष्टिकोण से आयुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों को नगर पालिक निगम अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, अधिकारी का प्रत्यायोजन करने हेतु विचार किया जा सकता है।

वार्ड कार्यालय में निर्धारित जिन दिवसों को उपरोक्त समस्त अधिकारी उपस्थित रहकर, समस्याओं का निराकरण करेंगे, उसके अतिरिक्त अन्य दिवसों में नागरिकों से आवेदन प्राप्त करने हेतु कार्यालय खुला रखने के संबंध में भी निकाय स्तर पर विचार किया जा सकता है।

6. **कार्यालय भवन में प्रदर्शित की जाने वाली जानकारी** :— कार्यालय भवन के पार्श्व भाग में कार्यालय का समय, प्रभारी अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर, मिलने का दिवस एवं समय तथा कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं की जानकारी तथा इस हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदनों तथा उनके निराकरण की सम्यावधि संबंधी तालिका दीवाल पर पैट कराकर / होर्डिंग्स के माध्यम से प्रदर्शित की जावेगी।
7. **कर्मचारियों की संलग्न एवं श्रेणी** :— वार्ड कार्यालय में पदस्थ किये जाने के लिए अमले का निर्धारण दिशा—निर्देशों में किया गया है, किन्तु इह सांकेतिक (इडिकेटिव) है, इसमें निकाय द्वारा परिस्थितिजन्य वृद्धि की जा सकती है। दिनांक 02 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किये जाने वाले वार्ड कार्यालयों में स्टाफ की व्यवस्था स्थानीय अमले से की जावेगी। भविष्य में अन्य कार्यालयों हेतु आवश्यकता होने पर प्लेसमेंट के अंतर्गत अतिरिक्त कर्मचारी रखने का प्रस्ताव गितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा।
8. **आवेदन की पावती** :— आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल पोर्टल के माध्यम से पंजीयन करते हुए संबंधित कर्मचारी द्वारा, पंजीयन की पावती आवेदक को प्रदान की जावेगी। पंजीयन उपरान्त आवेदन में वर्णित जानकारी, सीधे संबंधित अधिकारी को ऑनलाइन एवं एसएमएस द्वारा प्रेषित की जावेगी। निदान—1100 से संबंधित सेवाओं के जिन आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया जा सकता है, उनका मौके पर ही निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, उन्हें निदान—1100 को अग्रेशित नहीं किया जावेगा, शेष आवेदनों, जिनका मौके पर निराकरण नहीं हो सकता है, को निदान—1100 को अग्रेशित करते हुए, पावती में निदान—1100 की शिकायत संख्या (रेफरेंस नंबर) अंकित किया जावेगा। पावती में संबंधित कर्मचारी द्वारा, हस्ताक्षर किये जावेगे।
9. संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदनों का निराकरण निधि रित समय—सीमा के अंतर्गत किया जाना अनिवार्य होगा। विलंब की स्थिति में जिम्मेदारी का निर्धारण कर, संबंधितों के विलम्ब नियमानुसार अनुशासनालक कार्यवाही की जावेगी। वार्ड कार्यालयों में प्रस्तुत आवेदन तथा उनके निराकरण की साप्ताहिक समीक्षा निकाय के आयुक्त द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

जिला कलेक्टर्स द्वारा अपने जिले के नगरीय निकायों के वार्ड कार्यालयों की निकायवार संकलित जानकारी की नियमित समीक्षा, साप्ताहिक समय—सीमा बैठकों में की जावेगी।

10. **आवेदन निराकरण की सूचना** :- आवेदनों के निराकरण की सूचना आयुक्त के अवलोकन उपरान्त आवेदनकर्ता को एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जावेगी।
11. **कार्यालयीन व्यवस्था** :- वार्ड कार्यालयों में दस्तबेजों एवं पत्रों के संधारण हेतु पृथक्-पृथक् रजिस्टर, स्टेशनरी, आलमारी आदि की व्यवस्था की जावेगी।
12. **आवेदनों के निराकरण का लेखा संधारण** - आवेदनों एवं उनके निराकरण का लेखा संधारण संबंधित पोर्टल के माध्यम से किया जावेगा। पोर्टल में डेटाबोर्ड उपलब्ध होगा, जिससे संबंधित शिकायतकर्ता, मांगकर्ता एवं संबंधित निकाय के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नोडल अधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी अवलोकन कर सकेंगे।

कृपया पूर्ण व्यवस्था के साथ वार्ड कार्यालय का शुभारम्भ किया जाना तथा आवेदनों के निराकरण की साप्ताहिक नियमित समीक्षा किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(अलरमेलमंगई डी.)

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पुक्र ९४४० / २१९ / २०१९ / १८

अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक २८ / ०९ / २०१९

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इदावती भवन, नवा रायपुर।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभियान, छत्तीसगढ़।
6. समस्त संयुक्त संचालक, न.प्र. एवं वि.वि., श्र. कार्या रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर।
7. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग